

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 सेवाये, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :- राजपत्रित/डीपीसी/एसीपी/10/ 975

दिनांक :- 5.8.10

:- आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7)/वित्त/नियम/2008/पार्ट I दिनांक 12.09.2008 एवं 06.10.08 तथा एफ.14(88)एफडी (रूल्स)/2008-11 दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों की 10 वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके नाम के सामने अंकित कॉलम 08 में उल्लेखित दिनांक से पी.बी.-3 15600-39100 में ग्रेड पे 6000 (16) में प्रथम एसीपी स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	वर्तमान पद	वर्तमान पदस्थापन स्थान	जन्म तिथी	नियमित नियुक्ति दिनांक	10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की दिनांक	10 वर्ष पूर्ण होने पर एसीपी स्वीकृती दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8
1	डॉ. कमल शर्मा	चिकित्सा अधिकारी	अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा	03-09-62	25-02-92	25-02-02	01-09-06
2	डॉ. हिम्मत सिंह शेखावत	चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जौधपुर	04-01-69	21-05-96	21-05-06	01-09-06
3	डॉ. मंजु अग्रवाल	चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	20-10-56	03-09-86	03-09-96	01-09-06
4	डॉ. रमेश जोशी	चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	15-09-59	25-02-92	25-02-02	01-09-06
5	डॉ. कन्हैया लाल शर्मा	चिकित्सा अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, हिरण मगरी, उदयपुर	15-03-61	25-05-92	25-05-02	01-09-06
6	डॉ. रमाकान्त माली	चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	22-08-57	18-02-94	18-02-04	01-09-06
7	डॉ. राजेश दोषी	चिकित्सा अधिकारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सलुम्बर उदयपुर	23-06-64	21-05-96	21-05-06	01-09-06
8	डॉ. कविता बडजातिया	चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	26-08-70	10-10-96	10-10-06	10-10-07 (2 AGI NCE)
9	डॉ. राजेश पितालिया	चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर	07-12-68	30-05-96	30-05-06	01-09-06
10	डॉ. सुपवित्र कुमार जैन	चिकित्सा अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बी.डी.एम. होस्पिटल, कोटपूतली	09-11-64	25-02-92	25-02-02	01-09-06
11	डॉ. वेवेन्द्र कुमार वर्मा	चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बासवाडा	31-05-59	21-05-96	21-05-06	01-09-06
12	डॉ. श्याम लाल गुदरासिया	चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बासवाडा	23-11-57	18-02-94	18-02-04	01-09-06

1	2	3	4	5	6	7	8
13	डॉ. राजेन्द्र उज्जेनिया	चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बासवाडा	13-03-60	13-04-92	13-04-02	01-09-06
14	डॉ. नलिनी पंकज	चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बासवाडा	18-03-61	17-05-94	17-05-04	01-09-06
15	डॉ. कृष्ण गोपाल टेलर	चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बासवाडा	26-04-55	13-09-90	13-09-00	01-09-06
16	डॉ. हीरा लाल ताबीयार	चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बासवाडा	07-01-64	18-02-94	18-02-04	01-09-06
17	डॉ. दीपक पंकज	चिकित्सा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बासवाडा	02-11-63	21-05-96	21-05-06	01-09-06
18	डॉ. कोमल कान्त माहेश्वरी	चिकित्सा अधिकारी	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फागी, जयपुर	27-06-68	21-05-96	21-05-06	01-09-06
19	डॉ. देवेन्द्र कुमार शर्मा	चिकित्सा अधिकारी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, निम्मीजोधा नागौर	19-11-67	19-06-96	19-06-06	05-12-06
20	डॉ. देवी सिंह गौड	चिकित्सा अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द	05-12-62	21-05-94	21-05-04	01-09-06
21	डॉ. पंकज जैन	चिकित्सा अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सहादत चिकित्सालय, टाँक	10-01-69	23-08-96	23-08-06	01-09-06
22	डॉ. रघुवर दयाल शर्मा	चिकित्सा अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, दौसा	31-08-54	25-05-92	25-05-02	01-09-06
23	डॉ. सुमित माथुर	दन्त चि. अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सेटलाईट बनीपार्क, जयपुर	28-08-70	01-09-97	01-09-07	01-09-07
24	डॉ. सुदेश चन्द्र बी माथुर	दन्त चि. अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सिरौही	15-04-54	11-08-83	11-08-93	01-09-06
25	डॉ. महावीर सिंह गढवाल	चिकित्सा अधिकारी	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, डीडवाना, नागौर	30-12-62	25-02-92	25-02-02	01-09-06
26	डॉ. अतुल मोहता	चिकित्सा अधिकारी	प्रधानाचार्य, स.प. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर	12-02-62	13-04-92	13-04-02	01-09-08 (Forgo)
27	डॉ. अचला मोहता	चिकित्सा अधिकारी	प्रधानाचार्य, स.ष. आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर	21-10-64	25-05-92	25-05-02	01-09-06

उक्त चिकित्सा अधिकारियों का सेवा रिकार्ड कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष स्तर पर रहने के कारण एसीपी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1 कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7(1)कार्मिक/क-2/95 दिनांक 20.06.01 के क्रम में दिनांक 01.06.02 को एवं इसके पश्चात् अधिकारी की तीसरी सन्तान नहीं होने की अधिकारी द्वारा घोषणा।
- 2 एसीपी की देय तिथि से ठीक 10 वर्ष पूर्व नियमित रूप से अधिकारी को वेतन वृद्धिया मिलने एवं उक्त अवधि की सेवायें सन्तोषप्रद होने बाबत अधिकारी द्वारा घोषणा।
- 3 संबंधित चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय/फौजदारी जांच लम्बित/प्रस्तावित नहीं होने की तथा पूर्व में कोई दण्ड नहीं मिलने की अधिकारी की घोषणा।

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
- 4 उक्त कॉलम संख्या 06 में अंकित नियुक्ति तिथि नियमित रूप से होने की अधिकारी की घोषणा भी प्राप्त की जाना।
- 5 जिन चिकित्सकों द्वारा पदोन्नती फोरगो की गई है उन्हें नियमानुसार 02 वर्ष पश्चात् की एसीपी का लाभ इस शर्त पर दिया जायेगा कि उनकी पुनः पदोन्नती होने पर उनके द्वारा फोरगो नहीं किया गया हो।
- 6 संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड/सेवा रिकार्ड से घोषणा पत्र के तथ्यों तथा सेवा रिकार्ड के अनुसार चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण तिथि की पुष्टी की जावेगी तथा उक्त घोषणा पत्र व इसकी पुष्टी का इन्द्राज संबंधित चिकित्सा अधिकारी की सेवा पुस्तिका में किया जाकर तदनुसार वेतन निर्धारण किया जावेगा विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा अधिकारी की एसीपी स्वीकृति तिथि को 10 वर्ष निरन्तर व सन्तोषप्रद राजकीय सेवा की पुष्टी की जावेगी।

उपरोक्त चिकित्सकों के इस सम्पूर्ण अवधि के एसीआर (वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन) प्राप्त नहीं होने के कारण सन्तोषप्रद सेवा का प्रमाण के आधार पर उक्त एसीपी इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि में एसीपी में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर एसीपी स्वीकृति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त विधि से प्रकरण नियमानुसार होने पर ही इस स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित चिकित्सा अधिकारियों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 12.09.08 व 06.10.08 के नियम-20 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा एवं इस स्वीकृति तथा वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित चिकित्सकों की सेवा पुस्तिका में की जावेगी। वेतन निर्धारण से पूर्व संबंधित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संबंधित चिकित्सकों एसीपी स्वीकृति तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरक्षित वेतन) नियम-2008 के पे-बैंड 3(15600-39100) ग्रेड-पे 5400 (15) में वेतन प्राप्त कर रहे हैं।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।

दिनांक :- 5.8.10

क्रमांक :- राजपत्रित/डीपीसी/एसीपी/09/ 974
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2 प्रधानाचार्य, स.प. आयुविज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर।
- 3 अधीक्षक, महाराव भीमसिंह चिकित्सालय, कोटा।
- 4 सम्बंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
- 5 सम्बंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
- 6 सम्बंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
- 7 सम्बंधित ब्लाक मुख्य चिकित्सा अधिकारी/संबंधित प्रभारी अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।
- 8 समस्त डिलिंग सहायक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
- 9 प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि विभाग की वैबसाइट पर तुरन्त डाउनलोड करवाने की व्यवस्था करें।
- 10 आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।